निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7 (५) अकाद / निकाशि / 2013 / प्रवेशनीति / 312 दिनांकः 06-11-13

आदेश

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2013 में शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चलाये जाने बाबात।

जैसा कि हमें विदित है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है तथा इस हेतु 1 दिसम्बर, 2013 को मतदान निश्चित है। लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न निर्वाचन कार्य हेतु राजकीय महाविद्यालयों के भवन एवं परिसर जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किये जा चुके हैं। अतः ऐसे कुछ महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र में व्यवधान होना स्वाभाविक है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि ऐसे केवल कुछ ही महाविद्यालय होते हैं जिनमें चुनाव कार्य हेतु लम्बे समय तक जिला प्रशासन को भवन / परिसर की आवश्यकता होती है। अधिकांश महाविद्यालयों में केवल मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाती है तथा 2 या 3 दिन तक ही भवन की निर्वाचन कार्यों में आवश्यकता रहती है शेष दिन शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसी के साथ अधिकांश महाविद्यालयों में से कुछ शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ को जिला प्रशासन द्वारा चुनाव में भी लगाया जाता है जिनका कार्य भी 4–5 दिन से अधिक नहीं होता।

समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला प्रशासन को विधानसभा चुनाव हेतु समस्त सहयोग देने के साथ–साथ यह भी निश्चित करेंगे कि महाविद्यालय में शिक्षण कार्य में न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न हो, जिन महाविद्यालयों में केवल मतदान केन्द्रों की स्थापना की जा रही है उनमें निर्वाचन कार्य हेतु आवश्यक 2–3 दिवस से अधिक का व्यवधान किसी सूरत में न हो तथा शैक्षणिक सत्र नियमित रूप से चले, यह सुनिश्चित करना सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। जिन व्याखाताओं की निर्वाचन कार्य में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है उनके अतिरिक्त शेष नियमित अध्यापन कार्य करेंगे तथा निर्वाचन कार्य में सहयोग देने वाले व्याख्यातागण भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक दिवसों के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य यथावत करेंगे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यथा सम्भव निर्वाचन कार्य से नियमित शैक्षणिक कार्य बाधित न हो।

समस्त प्राचार्य गण सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर का न्यूनतम आवश्यक स्थान ही निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त हो एवं शेष भाग में यथा सम्भव यथावत अध्यापन कार्य नियमित रूप से किया जाए। सार यह है कि निर्वाचन को सुचारू करने हेतु पूर्ण सहयोग करें तथा यथा सम्भव शैक्षणिक गतिविधियों को भी आयोजित करें।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ 7 (५) अकाद / निकाशि / 2013 / प्रवेशनीति / 312 दिनांकः 06-11-13

प्रतिलिपि सूचनार्थः–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षि इंचार्ज वेबसाइड कृपया विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करें।

(डा0 राजेश शुक्ला)
संयुक्त निदेशक